कार्यालय उत्तराखण्ड हॉर्टीकल्चर को–ऑपरेटिव फैडरेशन लि0, देहरादून।

पता– 2 बी, द्वितीय तल, यू0सी0एफ0 सदन, दीपनगर रोड, देहरादून

hortifed.uk@gmail.com www.hortifed.org.in

पत्रांक: /फर्टिलाइजर फर्म/सूचीबद्ध/2026–27 दिनांक–

–अभिरूचि का आमंत्रण–

Invitation of Expression of Interest

उत्तराखण्ड राज्य में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों एवं अन्य पैक्स के द्वारा कृषकों को बायो फर्टिलाइजर, माइक्रोन्यूट्रियन्टस, जैविक उत्पाद तथा बायो पेस्टीसाइडस् उपलब्ध कराने हेतु संदर्भित उत्पादों के निर्माता व आपूर्तिकर्ता फर्मो को बिक्री उपरान्त भुगतान एवं एफ.ओ.आर. के आधार पर आपूर्ति हेतु चयनोपरान्त 03 (तीन) वर्षो के लिये सूचीबद्ध किया जाना है। अतः उत्तराखण्ड राज्य में उत्पादन एवं आपूर्ति हेतु अधिकृत, निर्माताओं/आपूर्तिकर्ता फर्मस् से जो एमपैक्स द्वारा बिक्री उपरान्त भुगतान व एफ.ओ.आर. के आधार पर बायो फर्टिलाइजर, माइक्रोन्यूट्रियन्टस, जैविक उत्पाद तथा बायो पेस्टीसाइडस् आपूर्ति के इच्छुक हो, उनसे निम्नानुसार निर्धारित औपचारिकताओं एवं शर्तो के अधीन अभिरुचि आमंत्रित की जाती है।

सूचीबद्ध हेतु नियम एवं शर्ते –

1. उत्तराखंड राज्य में स्थापित तथा उद्योग विभाग में पंजीकृत फर्म को वरीयता दी जायेगी।
2. फर्म द्वारा पैन नंबर (PAN), जी.एस.टी. नंबर (GSTIN) तथा वैध लाइसेंस की छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।
3. फर्म के पास कृषि निदेशालय, देहरादून (उत्तराखंड) द्वारा निर्गत उर्वरक बिक्री अनुमति पत्र (Fertilizer Sale License) होना अनिवार्य है।
4. विगत तीन वित्तीय वर्षों का संतुलन पत्र (Balance Sheet) सी.ए. (CA) द्वारा ऑडिटेड होना चाहिए, जिसमें फर्म का वार्षिक औसत टर्नओवर रुपये 10 लाख से अधिक होना चाहिए।
5. आपूर्ति किया जाने वाला उर्वरक उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला (Quality Control Laboratory) से प्रमाणित होना चाहिए।
6. फर्म किसी अन्य राज्य या प्रदेश में काली सूची (Blacklist) में सम्मिलित नहीं है, इस आशय का शपथ–पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करना होगा।
7. सहकारिता विभाग की अन्य संस्थाओं यथा उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0, देहरादून, उत्तराखण्ड प्रादेशिक को–ऑपरेटिव फैडरेशन लि0, देहरादून इत्यादि के साथ वर्तमान में कार्य न करने (या किसी भी प्रकार के हितों के टकराव/विवाद न होने) संबंधी शपथ–पत्र।
8. सहकारी समितियों को उत्पाद की आपूर्ति उत्तराखंड हॉर्टीकल्चर को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि० (हॉर्टिफेड), देहरादून के माध्यम से की जायेगी, जिसके लिए फर्म को संस्था (फेडरेशन) के साथ अनुबंध (Agreement) करना होगा।
9. फर्म की उत्पाद सूची दर/रेट सहित संलग्न करनी होगी।
10. चयनित फर्मों द्वारा स्वयं के परिवहन व्यय पर सहकारी समितियों को उत्पाद की आपूर्ति की जायेगी। यह आपूर्ति उत्पाद की बिक्री उपरान्त भुगतान (Payment after Sale) एवं एफ.ओ.आर. के आधार पर की जायेगी।
11. उत्पाद की गुणवत्ता में अधोमानक (Sub standard) पाए जाने पर, समस्त कर दायित्व (Tax Liability), आपूर्ति व्यय, प्रचार–प्रसार तथा प्रशिक्षण का पूर्ण दायित्व संबंधित फर्म का होगा।

12. किसी भी विवाद की स्थिति में, मामले का निस्तारण उत्तराखंड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 70 के अंतर्गत मध्यस्थ (Arbitrator) द्वारा किया जायेगा, जो दोनों पक्षों को अंतिम रूप से मान्य होगा।

13. समितियों के पास बचे हुए अवशेष (Unsold) अथवा कालातीत (Expired) उत्पादों को फर्म को अपने स्वयं के खर्च और व्यय पर वापस उठाना होगा।

14. आवेदन शुल्क मु0 5,000/– रुपये के डिमांड ड्राफ्ट (Demand Draft) किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से "उत्तराखण्ड हॉर्टीकल्चर को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि०, देहरादून" के पक्ष में (In favour of), देहरादून में देय बनवाकर मूल रूप में आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन शुल्क का अप्रतिदेय (Non–Refundable) होगा। डी.डी. की छाया–प्रति अपने अभिलेख हेतु सुरक्षित रखें।

15. फर्म को सूचीबद्ध करने हेतु अन्तिम निर्णय प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड हॉर्टीकल्चर को–ऑपरेटिव फैडरेशन लि0, देहरादून में निहित होगा।

अभिरुचि उत्पाद से सम्बन्धित समस्त अभिलेख एवं आवेदन पत्र दिनांक 27.06.2026 को अपराहन 12:00 बजे तक कार्यालय उत्तराखण्ड हॉर्टीकल्चर को–ऑपरेटिव फैडरेशन लि0, देहरादून में जमा की जायेगी, जिनका चयन प्रबन्ध निदेशक द्वारा गठित कमेटी एवं अभिरुचिदाताओं के समक्ष दिनाँक 27.06.2026 को कार्यालय उत्तराखण्ड हॉर्टीकल्चर को–ऑपरेटिव फैडरेशन लि0, देहरादून में सांय 3.00 बजे किया जायेगा।

(एम0पी0 त्रिपाठी)
प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड हॉर्टीकल्चर को–ऑपरेटिव
फैडरेशन लि0, देहरादून।

कार्यालय उत्तराखण्ड हॉर्टीकल्चर को–ऑपरेटिव फैडरेशन लि0, देहरादून।

पता– 2 बी, द्वितीय तल, यू0सी0एफ0 सदन, दीपनगर रोड, देहरादून

hortifed.uk@gmail.com www.hortifed.org.in

पत्रांकः 45 /फर्टिलाइजर फर्म/सूचीबद्ध/2026–27 दिनांक– 16.06.2026

–अभिरूचि का आमंत्रण–

Invitation of Expression of Interest

उत्तराखण्ड राज्य में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (एमपैक्स) एवं अन्य पैक्स के माध्यम से कृषकों को बायो फर्टिलाइजर, माइक्रोन्यूट्रियन्टस, जैविक उत्पाद तथा बायो पेस्टीसाइड्स उपलब्ध कराने हेतु, उक्त उत्पादों के निर्माता व आपूर्तिकर्ता फर्मों को बिक्री उपरान्त भुगतान एवं एफ॰ओ॰आर॰ के आधार पर आपूर्ति हेतु चयनोपरान्त 03 (तीन) वर्षों के लिये सूचीबद्ध किया जाना है।

अतः राज्य में उत्पादन एवं आपूर्ति हेतु अधिकृत, इच्छुक निर्माताओं/आपूर्तिकर्ता फर्मों से निर्धारित औपचारिकताओं एवं शर्तों के अधीन अभिरुचि आमंत्रित की जाती है।

महत्वपूर्ण तिथियाँ एवं सूचनाएँ	
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	**दिनांक 27.06.2026 को अपराहन 12:00 बजे तक**
अभिरुचिदाताओं के समक्ष चयन की तिथि एवं समय	**दिनांक 27.06.2026 को सायं 3:00 बजे**
आवेदन जमा करने का स्थान	**संघ कार्यालय, 2 बी, द्वितीय तल, यू.सी.एफ. सदन, दीपनगर, देहरादून**
आवेदन पत्र, नियम एवं शर्तें (वेबसाइट पर उपलब्ध)	**www.hortifed.org.in**

अधिक जानकारी एवं स्पष्टीकरण के लिये संघ कार्यालय से कार्यालय समय में संपर्क किया जा सकता है। प्रबन्ध निदेशक का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

(एम.पी. त्रिपाठी)
प्रबन्ध निदेशक
उत्तराखण्ड हॉर्टीकल्चर को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि.
देहरादून।